

चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ (राज.)

CHITTORGARH KENDRIYA SAHKARI BANK LTD. CHITTORGARH (RAJ.)

HEAD OFFICE-CHITTORGARH-312001

PH-01472-246031,241401 (Bank) Fax.-01472-241401, Email-cksbchittor@gmail.com

क्रमांक/परि./2016-17/3723

दिनांक:-24.10.2016

शाखा प्रबन्धक

शाखा कार्यालय

.....

विषय :- अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व के अन्तर्गत बैंक की केवाईसी नीति में अद्ययतन करने के संबंध में।

प्रसंग :- भारतीय रिजर्व बैंक के केवाईसी Master Direction DBR.AML.BC.No.81/14.01.001 /2015-16 दिनांक 25.02.2016 को बैंक में लागू करने के संबंध में।

बैंक के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 21.06.2013 में अनुमोदित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप केवाईसी नीति बैंक में लागू की गई। उसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों को बैंक द्वारा समय समय पर अद्यतन किया गया है। इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के केवाईसी मास्टर डायरेक्शन जो सभी भारतीय रिजर्व बैंक से नियामक संस्थाओं के द्वारा लागू किया जाना है उसे बैंक के संचालक मंडल की दिनांक 20.10.2016 को सम्पन्न बैठक में केवाईसी नीति में समाहित एवं बैंक में लागू करने की पुष्टि की गई।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी केवाईसी मास्टर डायरेक्शन की पालना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

क्रमांक/परि./2016-17/3723

प्रतिलिपि :-

प्रबंध निदेशक

दिनांक:-24.10.2016

1. निजी सहायक, अध्यक्ष महोदय, बैंक।
2. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, बैंक।
3. अधिशाषी अधिकारी/अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी, बैंक।
4. केवाईसी डेजिगनेट डायरेक्टर, बैंक।
5. केवाईसी अल्टरनेट ऑफिसर, बैंक।
6. प्रशासन/लेखा/ऋण/उड़नदस्ता/सीबीएस/सांख्यिकी/ऑडिट अनुभाग, बैंक।
7. सीबीएस नोडल अधिकारी को भेजकर निर्देश दिये जाते कि उक्त डायरेक्शन बैंक की वेबसाईड पर अपलोड करें।

प्रबंध निदेशक